

BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

Statement of Marks



MASTER OF ART (POLITICAL SCIENCE) EXAMINATION 2020



Name : AKASH RAJPOOT
 Father's Name : JUJHAR SINGH RAJPOOT
 Mother's Name : ARADHNA RAJPOOT

S. No. : 132629
 Roll No. : 305181380002
 E. No. : BU/A38/18/305/00002

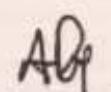
M.A.[POLITICAL SCIENCE] PREVIOUS YEAR				REGULAR
Name Of College/Center : DAYANAND VEDIC COLLEGE, ORAI, JALAUN				
NAME OF PAPER	MAX	MIN	MARKS OBTAINED	RESULT DECLARED DATE
INDIAN POLITICAL THOUGHT (ANCIENT AND MODERN)	100	36	48	April 16, 2019
INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS	100	36	54	
COMPARATIVE POLITICS	100	36	56	
WESTERN POLITICAL THEORY	100	36	30	
RESULT : PASS	TOTAL	400	144	188
M.A.[POLITICAL SCIENCE] FINAL YEAR				REGULAR
Name Of College/Center : DAYANAND VEDIC COLLEGE, ORAI, JALAUN				
NAME OF PAPER	MAX	MIN	MARKS OBTAINED	RESULT DECLARED DATE
THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS	100	36	38	November 02, 2020
CONTEMPORARY POLITICAL ISSUES	100	36	44	
INDIAN FOREIGN POLICY	100	36	61	
FOREIGN POLICY OF MAJOR POWER	100	36	58	
VIVA-VOCE	100	36	76	
TOTAL	500	180	277	
Final Year Result : Second Div	GRAND TOTAL	900	324	465

BUNDELKHAND UNIVERSITY,
 JHANSI (INDIA) 254138
 Printing Date: 06-01-2021



realme Shot on realme C15

2023/12/19 19:20


 Registrar / Controller of Examination
 BUNDELKHAND UNIVERSITY
 JHANSI

आदेश

उपनिरीक्षक ना0पु0, प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सीधी भर्ती-2020-21 अन्तिम चयन परिणाम, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सूचना/विज्ञापित संख्या:पीआरपीबी-दो-2(11-वि0मे0लि0)/2021 दिनांक:12-06-2022 द्वारा घोषित किया गया है, जिसके अनुसार उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर 9027 (पुरुष-7222 महिला-1805) को चयनित किया गया है।

2- अध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या: पीआरपीबी-दो-2(11-वि0मे0लि0)/2021 दिनांक: 05-07-2022 के द्वारा उपरोक्तानुसार चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या: ए-3737/2022 रावेन्द्र प्रताप सिंह व 49 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में EWS श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या:ए-8243/2022 युवराज उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य व रिट याचिका संख्या:ए-7119/2022 रवि शंकर त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया गया है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 (यथासंशोधित) के भाग-छ के प्रस्तर 18(1) में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है,

18-(1) नियम 15 एवं नियम 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15 के खण्ड (ड.) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हो। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

4- पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: प्राणि-प-90/2022/4739 दिनांक 02.02.2023 द्वारा अभ्यर्थी को दिनांक:13.03.2023 से प्रशिक्षण संस्थान पुलिस अकादमी मुरादाबाद में प्रारम्भ होने वाले उपनिरीक्षक ना0पु0 के आधारभूत प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित करते हुये दिनांक: 12.03.2023 को सांयकाल तक प्रशिक्षण संस्थान में आगमन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र संख्या:पांच-111(उ0नि0सी0म0-2020-21)-2022 दिनांक 06.02.2023 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

5- उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 यथासंशोधित के नियम 3(ख) के अनुसार उपनिरीक्षक ना0पु0 के नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक, से है।

6- अतएव उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 यथासंशोधित के नियम 3(ख) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में उपनिरीक्षक ना0पु0, प्लाटून कमाण्डर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सीधी भर्ती-2020-21 के अन्तर्गत उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान में आगमन किये जाने की तिथि से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्रेड वेतन रुपये4200/- मैट्रिक लेबल-6, का न्यूनतम वेतन रुपये35400/- में अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त किया जाता है :-

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता	गृह जनपद	आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आवंटित प्रशिक्षण संस्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	AL1224122486	आकाश राजपूत	जुझार सिंह	ग्राम-लोधीपुरा, थाना जलालपुर, हनीरपुर	हनीरपुर	पुलिस अकादमी मुरादाबाद

7- यह नियुक्ति पूर्ण रूपेण अस्थाई होगी, जो सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा यदि आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के 01 माह के अन्दर आधारभूत प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में आगमन नहीं करता है, तो सेवा नियमावली के नियम 18(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार इनका चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियुक्ति पूरी तरह औपबधिक है। यदि भविष्य में नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताये/अभिलेखों में कोई त्रुटि/मिथ्या कथन/कपट पूर्ण प्रमाण पाया गया तो यह नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से शून्य एवं समाप्त माना जायेगा।

8- यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद,खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या: ए-3737/2022 रावेन्द्र प्रताप सिंह व 49 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में EWS श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या:ए-8243/2022 युवराज उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य व रिट याचिका संख्या:ए-7119/2022 रवि शंकर त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

9- आधारभूत प्रशिक्षण अवधि में सम्बन्धित प्रशिक्षुओं पर पी0टी0सी0 मैनुअल के प्रावधान लागू होंगे। आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षु द्वारा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर इन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जनपद आवंटन के आदेश पृथक से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

संख्या:-सीओसी-एसी-3-उ0नि0ना0पु0 सीपी भर्ती 2020-21(91)/2023 | 200 (21)

दिनांक: फरवरी/24/2023

(डॉ0 विपिन कुमार मिश्र)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- प्रधानाचार्य/संस्थान प्रमुख, पुलिस अकादमी मुरादाबाद को अभ्यर्थी से सम्बन्धित पत्रावली को मूलरूप में संलग्न कर कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के उपरान्त निर्धारित 01 माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु अपना योगदान नहीं करता है, तो तत्काल अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार सेवा नियमावली के नियम 18(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार इनका चयन/नियुक्ति को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जनपद हमीरपुर को दो प्रतियों में इस अनुरोध से कि उपरोक्त अभ्यर्थी को स्थानीय थाने के माध्यम से एक प्रति प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति का हस्ताक्षर मय दिनांक कराकर इस कार्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

पंजीकृत प्रतिलिपि:-

5- श्री आकाश राजपूत पुत्र श्री जुझार सिंह, निवासी ग्राम-लोधीपुरा, धाना जलालपुर, हमीरपुर -पिनकोड 210432 जनप्रद हमीरपुर को इस निर्देश से कि उप निरीक्षक ना0पु0 के आधारभूत प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नियत तिथि तक प्रशिक्षण संस्थान में आगमन  निश्चित करेंगे। यदि आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के 01 माह के अन्दर आधारभूत प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में आगमन नहीं करते हैं, तो सेवा नियमावली के नियम 18(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार आपके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने साथ मैस एडवांस, मौसम के अनुसार कपड़े व विस्तर अपने साथ लेकर जायेंगे तथा बन्ध पत्र के साथ संलग्न प्रारूप परिशिष्ट ख (1) एवं ख (2) क्रमशः तैयार कराकर अपने साथ लेकर आवंटित उक्त प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे।

(डॉ0 विपिन कुमार मिश्र)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,
चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा।